



फाइल सं. टी काउंसिल/एलसी/2014/पी-1/7862

दिनांक 30/06/2026

निदेश सं.:02/2026

चूँकि, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धाराओं (3) और (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने आयातित चाय के निर्यात, आयात और वितरण पर नियंत्रण रखने के लिए चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 (जिसे आगे 'उक्त आदेश' कहा गया है) को अधिसूचित किया है।

और चूँकि, उक्त आदेश के विभिन्न पैराग्राफ के तहत बोर्ड को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15.10.2012 की अधिसूचना के ज़रिए 'टी काउंसिल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया' का गठन किया गया था, ताकि बोर्ड को मदद और सलाह दी जा सके: इसके काम की शर्तों में से एक शर्त भारत में आयात की जाने वाली और उसके बाद निर्यात की जाने वाली चाय और चाय अपशिष्ट पर नज़र रखना है।

और चूँकि, 31.01.2025 की अधिसूचना के ज़रिए, दक्षिण और उत्तर भारत की दोनों चाय परिषदों का विलय कर दिया गया और उन्हें 'टी काउंसिल कमिटी ऑफ इंडिया' के रूप में पुनर्गठित किया गया: इसका एक मुख्य उद्देश्य आयातित और निर्यातित चाय की मात्रा और गुणवत्ता की निगरानी करना था।

और चूँकि, 23.05.2013 की अधिसूचना के ज़रिए, चाय के निर्यात और आयात के लिए ऑनलाइन अनिवार्य जाँच प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके तहत बोर्ड द्वारा चाय के नमूने लिए और जाँचे जाते थे और प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन 'निर्गम प्रमाणपत्र' जारी किए जाते थे।

और चूँकि, परिचालन कारणों से, 31.07.2018 की अधिसूचना के तहत नमूना लेने और उनका परीक्षण का काम बंद कर दिया गया था। हालाँकि, आवेदकों को ऑनलाइन 'निर्गम प्रमाणपत्र' जारी किए जाते रहे, जिसे 22.12.2021 की अधिसूचना में फिर से दोहराया गया था।

और साथ ही चाय परिषद समिति ने 06.03.2025 और 11.06.2025 को हुई अपनी बैठकों में परीक्षण तंत्र को फिर से शुरू करने के मुद्दे पर ज़ोर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में आने वाली चाय की गुणवत्ता भारत में लागू मानक के समकक्ष हो।

इसके अलावा, निदेश सं.01/2026 दिनांक 10.02.2026 के तहत, भारत में आयात की जाने वाली चाय की 100% परीक्षण दिनांक 01.05.2026 से शुरू की गई थी। इस बीच, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के 19 जून 2026 के कार्यालय ज्ञापन सं. के-57012/2026-रोपण ए (जिसमें दिनांक 16.06.2026 को हुई बैठक की चर्चा का विवरण दिया गया है) के अनुसार, टी बोर्ड ने फिलहाल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) को टी बोर्ड की ओर से पुनः निर्यात के लिए आयातित चाय की 100% परीक्षण करने के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत किया है। तय किए गए अनुसार, घरेलू खपत के लिए आयातित चाय की जोखिम-आधारित परीक्षण एफएसएसआई द्वारा शुरुआती तौर पर 20% की दर से जारी रहेगी।



अतः उक्त चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के पैरा 34 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, और 2026 के निदेश सं. 1 और उसके साथ जारी शुद्धिपत्र को दबाते हुए, यह निदेश दिया जाता है कि पुनः निर्यात के लिए चाय की सभी आयात खेपों को अनिवार्य रूप से इसके साथ संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, गुणवत्ता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए निकासी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। टी बोर्ड घरेलू खपत के लिए आयातित चाय के लिए निकासी प्रमाणपत्र जारी करना जारी रखेगा।

उक्त एसओपी में यदि कोई बदलाव होता है तो उसे समय-समय पर बोर्ड की वेबसाइट www.teaboard.gov.in पर "नीति और विधान शीर्षक के तहत प्रकाशित/प्रसारित/अपलोड किया जाएगा।

-हस्त-

(सी. मुरुगन)

अनुज्ञापन प्राधिकरण एवं उपाध्यक्ष, टी बोर्ड

संलग्न: एसओपी

सेवा में,

चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के तहत जारी सभी अनुज्ञापन-धारकों के लिए-सूचनार्थ एवं सख्त अनुपालन हेतु
प्रति:

1	एफएसएसआई	सूचनार्थ
2	सीमा शुल्क	सूचनार्थ
3	सभी संबंधित चाय निर्यातक संघ	सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। अनुरोध है कि इसे अपने सदस्यों के बीच प्रसारित करें और अपनी- अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।
4	सभी संबंधित चाय उत्पादक/निर्माता/क्रेता संघ	सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। अनुरोध है कि इसे अपने सदस्यों के बीच प्रसारित करें और अपनी- अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।
5	कार्यकारी निदेशक, चाय बोर्ड गुवाहाटी एवं चाय बोर्ड कून्नूर	सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6	अनुज्ञापन नियंत्रक	सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7	उ नि चा वि, सिलीगुड़ी	सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8	सभी विभागाध्यक्ष, टी बोर्ड, कोलकाता	सूचनार्थ
9	आईटी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

भारत में चाय के आयात के लिए अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया

भारत में चाय का आयात करने के लिए, चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 (टीडीईसीओ) के तहत वैध अनुज्ञापन सं. सहित 'टी बोर्ड' से अनुज्ञापन प्राप्त आयातक को नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:

1. टी काउंसिल पोर्टल (<https://teacouncil.teaauction.gov.in>) पर आयात से जुड़ी जानकारी जमा करना, जैसे कि शिपमेंट के आने की संभावित तिथि, आयातित चाय को रखने के लिए भांडागार की जानकारी आदि, साथ ही कंटेनरों की सं. और प्रोफार्मा इनवॉइस, जिसमें चाय की लागत, माल ढुलाई और बीमा का अलग-अलग विवरण हो।
2. आयात करने वाले को निकासी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय, टी काउंसिल पोर्टल के ज़रिए प्रति आवेदन ₹ 2,000/- और जीएसटी शुल्क देना होगा। आवेदक को एफएसएसएआई द्वारा तय की गई परीक्षण शुल्क प्रयोगशालाओं को देनी होगी।
3. निर्यातक को निर्यात के शुरुआती चरण में नहीं, बल्कि निर्यात से पहले निकासी प्रमाणपत्र पाने के लिए आवेदन जमा करते समय, पैकेजिंग का पूरा डिज़ाइन अपलोड करना होगा। इस डिज़ाइन में उस देश का ज़िक्र होना चाहिए जहाँ से चाय इंपोर्ट की गई थी और जहाँ से उसे दोबारा निर्यात किया जाएगा।
4. टी बोर्ड द्वारा टी काउंसिल पोर्टल के माध्यम से आयातक को निर्यात निकासी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। दोबारा निर्यात के लिए आयात की जाने वाली चाय के मामले में निर्यात निकासी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
5. आयातित खेप के आने पर, एफएसएसएआई पैरामीटर्स की जाँच के लिए एफएसएसएआई द्वारा सूचीबद्ध और एन ए बी एल से मान्यता प्राप्त लैब में भेजने के लिए एफएसएसएआई नमूना लेगा।
6. एफएसएसएआई द्वारा चुनी गई संबंधित प्रयोगशाला, नमूना प्राप्त होने की तिथि से 5 दिनों के भीतर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करेगी।
7. जो नमूना पास हो गए हैं, उनके लिए टी बोर्ड की ओर से टी काउंसिल पोर्टल के माध्यम से निकासी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
8. निर्यात के लिए आयात की गई चाय को, चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के पैरा 21 के प्रावधानों के अनुसार, देश में आयात की तिथि से छह माह के भीतर निर्यात करना होगा।
9. इंस्टेंट चाय और रेडी-टू-ड्रिंक (आरटीडी) चाय को सैंपलिंग की ज़रूरतों से छूट दी जाएगी।